Analytical study of common issues and problems related to agricultural land acquisition.

Prof. Yudhveer Singh

Prof. Navita S. Kumar

कृषि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सामान्य मुद्दों व समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

प्रो0 युद्धवीर सिंह*
प्रो0 नविता एस0 कुमार**

शोध सारांश - मानव जीवन में भूमि का विशेष महत्व है। भूमि मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जीवन का आधार है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में भूमि का विशेष महत्व है। कोई भी उत्पादन कार्य छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर व कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र से संबंध रखता है। इन सभी में भूमि के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं हो सकता, इसीलिए भूमि को उत्पादन का अनिवार्य साधन कहा जाता है। भूमि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक निःशुल्क उपहार है। भूमि की मात्रा सीमित है। भूमि की सीमितता के कारण ही इसके सदुपयोग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के आधिकांश भाग में समुद्र है और केवल सीमित भू-भाग है। जिस पर कृषि की जा सकती है। प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि भूमि के अधिग्रहण से संबंधित सामान्य मुद्दों व समस्याओँ का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना- भारत को गांवों का देश कहा जाता है, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं। जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। हमारे देश में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है क्योकि यह ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है, खाद्य आपूर्ति, शहरी लोगों की मांगों की पूर्ति, विभिन्न कुटीर उद्योगों का आधार, निर्यात में वृद्धि व कच्चे माल की पूर्ति कृषि क्षेत्र द्वारा ही संभव है। कृषि क्षेत्र का इतना महत्व होने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पादन की मात्रा घटती जा रहा है। जिसकी चिंता राष्ट्र स्तर पर की जा रही है और इसके प्रभावों को चिन्हित किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के कम उत्पादन के लिए मुख्य कारण निम्न कृषि उत्पादकता, निवेश की कमी, वित्तिय अपर्याप्ता, फसल बीमा का आभाव व सेज और आधारभूत संरचना के विकास हेतु कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण आदि है। निम्न कारणों में से एक कारण ऐसा भी है। जिसे देश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास व आधारभूत संरचना के विकास हेतु आवश्यक माना गया है, वह कारण भूमि अधिग्रहण है।

भूमि अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें नीजि स्वामित्व वाली भूमि को केन्द्र, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा "सार्वजनिक" हित के लिए मुआवजा देकर खरीद लेती है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जनपद में विभिन्न परियोजनाओं हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में जनपद मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न सामान्य मुद्दों व समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

साहित्य समीक्षा -

1. सामंथा और रघुराम जी. (2009) ने अपने शोध पत्र " "Mega projects in India Environmental and Land Acquisition Issue" में भारत में बड़ी परियोजनाओं की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक भूमि अधिग्रहण है, जहां किसान अक्सर अपनी जमीन देने के लिए अनिच्छुक होते हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में काफी देरी होती है। हालांकि, किसानों से भूमि अधिग्रहण करने और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निजी उद्यमों को प्रदान करने का सरकार का दृष्टिकोण कुशल है। फिर भी, इन चुनौतियों को कम करने के लिए दीर्घकालिक भूमि अधिग्रहण मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक चिंताएँ और पर्यावरण प्रदूषण भी देरी के लिए योगदान करने वाले कारक हैं।

2. एलियास, एस.एन. और एम.डी.नासिर (2010) ने अपने शोध पत्र "Traditional Land Acquisition and Compensation: The Perceptions of the Affected Aborigine in Malaysia" में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से मलेशिया में आदिवासी लोगों, ओरंग असली पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। यह वर्णनात्मक शोध है, और अध्ययन के लिए प्रश्नावली पद्धति का उपयोग किया गया है। शोध से यह भी पता चलता है कि ओरंग असली को मौद्रिक और गैर-मौद्रिक घटकों के साथ मुआवजे की आवश्यकता थी। ओरंग असली के लोग भूमि अधिग्रहण से पीड़ित हैं, लेकिन मलेशिया के कानून उनके लिए मददगार नहीं हैं। पारंपरिक डंग से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन सरकार ने ओरंग असली के लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया है, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी। इस शोध पत्र का निष्कर्ष है कि मलेशिया में भूमि अधिग्रहण कानून भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। सरकार ने

जबरन भूमि का अधिग्रहण किया, और प्राधिकरण ने भूमि मालिक के अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी की।

3. जन चेतना (2013) ने अपने शोध पत्र "Land Acquisition and Transfers for Private Industry - A Case Study in Raigarh Chhattisgarh" में छत्तीसगढ़ के एक शहर रायगढ़ में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं की विस्तृत जांच की है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजन परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रभाव की जांच करना है। यह अध्ययन भूमि हस्तांतरण के कानूनी और अवैध दोनों तंत्रों को देखता है। वैधता और न्याय के बीच अंतर है। अध्ययन में पाया गया कि सरकार ने निजी कंपनियों को अधिग्रहित भूमि हस्तांतरित की। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सही नहीं थी। निजी कंपनियां राज्य सरकार की मदद से किसानों और भूमि मालिकों से निजी हित के लिए भूमि लेती हैं। किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि के लिए सरकार से मामूली मुआवजा मिलता है। किसान इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं क्योंकि एक ओर वे अपनी आजीविका के साधन खो देते हैं, दूसरी ओर उन्हें अपनी भूमि के लिए उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। इसके अलावा, भूमि हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की अक्सर राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा व्यक्तिपरक व्याख्या और क्रियान्वयन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे लेन-देन होते हैं, जो कानूनी होते हुए भी, विशिष्ट हितधारकों के लिए गंभीर रूप से अन्यायपूर्ण हो सकते हैं।

4. मिश्रा रत्नाकर (2014) ने "Displacement: A Socio-Economic Rights Perspective" शीर्षक वाले अपने शोध पत्र में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के विस्थापन के हानिकारक परिणामों की जांच की। यह अध्ययन उन भूस्वामियों के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं की ओर ले जाता है जिनकी संपत्ति अधिग्रहित की जाती है। इस शोध पत्र में, ओडिशा में टाटा स्टील लिमिटेड की गोपालपुर परियोजना के संबंध में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की विस्थापन से पहले और बाद की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य आस-पास की बस्तियों पर विस्थापन से संबंधित मुद्दों के प्रभाव, विस्थापित लोगों के व्यवसाय पैटर्न पर प्रभाव की जांच करना और असमानताओं को कम करने के लिए एक उपचारात्मक कार्य योजना का प्रस्ताव करना है। यह शोध 1555 परिवारों के नमूने पर आधारित है जो इस परियोजना

से प्रभावित थे। भूमि अधिग्रहण के बाद, लोग अक्सर अपना पेशा बदल लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी और संसाधनों की कमी होती है लेखक का सुझाव है कि सरकार को विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें स्थानीय आत्मनिर्भर समूहों और छोटे कुटीर उद्योगों का विकास करना शामिल है।

5. पाटिल, वी. और घोष, आर. (2020) ने शोध पत्र "Money, Land or Self-Employment? Understanding Preference Heterogeneity in Landowners' Choices for Compensation under Land Acquisition in India", में मुआवजे, भूमि या रोजगार के लिए भूमि मालिकों की पसंद का वर्णन किया। अध्ययन का उद्देश्य मुआवजे के विकल्पों के बारे में भूमि मालिकों की प्राथमिकताओं की जांच करना था। अध्ययन से ज्ञात होता है कि भूमि मालिक आम तौर पर गैर-मौद्रिक मुआवजे को प्राथमिकता देते हैं। अध्ययन में इस्तेमाल किए गए रैंकिंग बिंदु विभिन्न मुआवजे के विकल्पों पर आधारित थे, जैसे कि भूमि, नकद, आवास और स्वरोजगार। यह पाया गया कि मुआवजे के विकल्पों की प्राथमिकताएँ भूमि के आकार और भूमि मालिक की शिक्षा के स्तर से प्रभावित थीं। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि अधिक भूमि या शिक्षा वाले भूमि मालिकों ने मौद्रिक मुआवजे को प्राथमिकता दी, जबकि कम शिक्षा या भूमि वाले लोगों ने स्वरोजगार और आवास विकल्पों को प्राथमिकता दी।

अध्ययन के उद्देश्य -

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि के अधिग्रहण से संबंधित सामान्य मुद्दों व समस्याओं का अध्ययन करना व कृषकों पर अधिग्रहण के प्रभाव का अध्ययन करना है।

अध्ययन क्षेत्र और कार्यप्रणाली -

शोध पत्र के अध्ययन हेतु सोउद्देश्य प्रतिचयन रीति का चयन किया गया है। शोध क्षेत्र के चयन हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अधिग्रहण प्रक्रिया से प्रभावित 100 कृषकों का चयन किया गया है, जिनकी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। यह अध्ययन प्रथम एवं दूसरे समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंक एकत्र करने हेतु अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित लोगों से प्रश्नावली एवं अनुसूची भरवायी गई है एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया

है। दूसरे समंक विभिन्न जनगणनाओं, शोध ग्रंथों, आयोगों व समितियों के प्रतिवेदन एवं समाचारपत्र व पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त किये गए हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष हेतु विभिन्न सांख्यिकी उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

तालिक क्रमांक -1 भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे व समस्याएं।

क्र0 सं0	भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे व समस्याएं	कृषकों की संख्या = 100		कुल
		हां	नहीं	
1	अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजा की प्राप्ति	0	100	100
2	बेरोजगारी में वृद्धि	83	17	100
3	निम्न कृषि उत्पादन	93	07	100
4	पुर्नवास और पुनस्थापिना हेतु प्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता	0	100	100
5	पलायन में वृद्धि	34	66	100

स्त्रोत - क्षेत्र सर्वेक्षण

आकृति -1 भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे व समस्याएं।

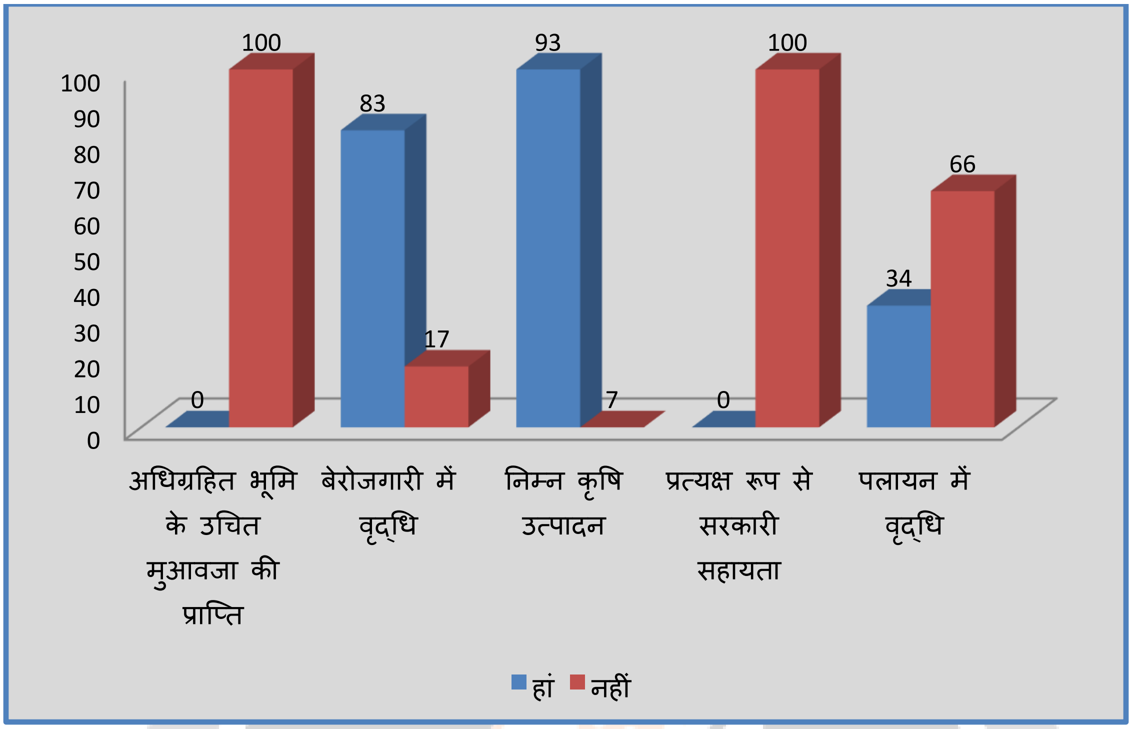

उपरोक्त तालिका 1 के अनुसार समस्त उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें अधिग्रहित भूमि का उचित मूल्य नहीं मिला है। उत्तरदाताओं ने बताया कि यदि वें स्वयं अपनी भूमि पर कृषि कार्य करतें तो उन्हें कृषि उत्पाद के रूप आय भी प्राप्त होती और उनकी सम्पत्ती के मूल्य में भी वृद्धि होती। परन्तु सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत उनकी भूमि कम मूल्य पर अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की। 83% उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है क्योंकि कृषि भूमि के अधिग्रहण होने से वे अदृश्य बेरोजगारी से ग्रस्त हो गए है। जबकि 17 % उत्तरदाता के अनुसार बेरोजगारी में वृद्धि नहीं हुई। ये वें कृषक हैं जिनके द्वारा मुआवजा धनराशि से अन्यत्र स्थान पर कृषि भूमि खरीदी गई है। 93 उत्तरदाताओं के अनुसार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद कृषकों के पास कम कृषि योग्य भूमि बचती है, जिससे कृषि उत्पादकता का स्तर भी निम्न हो जाता है। जबकि सात प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि भूमि अधिग्रहण के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये वे किसान हैं जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के बाद मिली धनराशि में अपनी पूर्व में की गई बचतों को मिलाकर कृषि भूमि में वृद्धि की है। आकड़ों को एकत्रित करते समय 34% उत्तरदाताओं के अनुसार कृषि भूमि कम या ना होने के कारण कृषक भूमिहीन श्रमिकों में बदल गए है और उन्हें रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध-पत्र से स्पष्ट होता है जनपद मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण होने के कारण बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता, पलायन व उचित समय व मात्रा में मुआवजा नहीं मिल पाया आदि मुद्दे व समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

सुझाव - अध्ययन से स्पष्ट है कि कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जाने से विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न होती है। अत: सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जहां तक संभव हो कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची -

1. Alias, S.N and M.D.Nasir Daud (2010): "Traditional Land Acquisition and Compensation: The Perceptions of the Affected Aborigine in Malaysia" International Journal of the Physical Sciences, Vol. 5(11), pp. 1696-1705, 18 September 2010
2. Census (2011): Census of India, Government of India, New Delhi.
3. Majumder, A.: The socio-economic effects of land acquisition in Paschim Medinipur; west Bengal: An anthropological perspective. Radix International Journal of Research in Social Science, 2013; 2 (2): PP-01-11.
4. Mishra, Ratnakar(2014): "Displacement: A Socio-Economic Rights Perspective", Vikalpa The Journal for Decision Makers, October 2014, pp.11-22.
5. Nandal, Vikas : "Land Acquisition Law in India: A historical perspective", (2014) International Journal of Innovative Research and Studies, Vol. 3 Issue 5, PP 01-15. http://www.ijirs.com/vol3_issue-5/33.pdf
6. Patil, V. and Ghosh, R.(2020): "Money, Land or Self-Employment? Understanding Preference Heterogeneity in Landowners' Choices for Compensation under Land Acquisition in India", Land Use Policy, Volume 97, September 2020, 104802,https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104802
7. Punam : "Land Acquisition Policy on Farmers in Haryana" (IJARMSS) (2015), vol-04, No-01, PP- 104-115. http://en.wikipedia.org/wiki/Land Acquisition-Act
8. Samantha and Raghuram G. (2009): "Mega Projects in India Environmental and Land Acquisition Issues" Indian Institute Of Management–Ahmedabad, W.P. No. 2009-03-07, March 2009.

9. Jan Chetna(2013): "Land Acquisition and Transfers for Private Industry - A Case Study in Raigarh Chhattisgarh", Centre For Equity Studies, Dec.2013,http://www.indiaenvironmentportal.org.in/content/394057/land-acquisition-and-transfers-for-private-industry-a-case-study-in-raigarh-chhattisgarh/
10. The Land Acquisition Act, 1894

***